न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 4 बरेली।

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं0 499/2019

शमीम खान बनाम इम्त्याज खान आदि

अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0

थाना–सीबीगंज, जनपद–बरेली।

दिनांक 10.02.2020

पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु कथन किया गया है कि प्रार्थी ने अपनी लड़की यासमीन की शादी इम्त्याज के साथ दिनांक 03.06.2001 से मुस्लिम रिति रिवाज के साथ सम्पन्न हुयी थी और दहेज में 20 तोला जेवर के अलावा 1 किलो चांदी भी दी थी। प्रार्थी द्वारा 2007 मॉडल गाड़ी नं यू0पी0 25 बी0टी0 7893 10 टायरा दिनांक 10.05.2019 व एक गाड़ी यू0पी0 25सी0टी09150 2012 मॉडल 12 टायरा लड़की यासमीन के नाम फाईनेंस कराकर कर दी थी। गाड़ियां देने के बाद से उसके पति जेठ व भतीजों की नियत खराब हो गयी और उक्त लोग उसे शारिरिक व मानसिक यातनायें देने लगे जिसकी शिकायत प्रार्थी के लड़की ने भाइयों से की उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया । यातनाओं से प्रार्थी की पुत्री अत्यधिक बीमार हो गयी और बरेली में दीपमाला अस्पताल में भर्ती कराया वहां से उसे उच्च संस्थान पर इलाज हेतु रेफर कर दिया। बरेली से प्रार्थी ने अपनी पुत्री को दिल्ली सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया बेन्टीलेटर एमबेलेंस का 20 हजार रूपया दिल्ली तक का किराया व 1 लाख रूपये इम्त्याज को प्रार्थी को दिया, लेकिन उसके पति इम्त्याज व उसके दोनो जेठों व भतीजों फाजिल व अन्य घर वालों ने दहेज का माल हडपने की नियत से बगैर पूछे सरकारी अस्पताल गुरू तेगबहादुर अस्पताल शाहदरा दिल्ली में भर्ती करारया जिसमें आई0सी0यू की व्यवस्था नहीं थी। वहां पर प्रार्थी की पुत्री ही मृत्यु हो गयी। प्रार्थी अपने दहेज में दिये गये दोनों ट्रक व समस्त दहेज के बारे में मुल्जिमानों से कहा तो झगडने लग व जान से मारने की धमकी देने लगे। दिनांक 01.11.2019 उक्त लोग प्रार्थी के घर में आकर शाम के 6 बजे आकर गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी। इसलिये प्रार्थिनी ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु काई भी कार्यवाही नहीं हुई।

थाने की आख्यानुसार इस प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित तथ्यो के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के उपरान्त न्यायालय की राय है कि आवेदिका/ आवेदक का यह प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विनिश्चय **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 CRLJ 472 व विनिश्चय राम बाबू गुप्ता व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001 Cr LJ 3363** मे प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तो व वर्तमान प्रकरण के विशिष्ट तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए परिवाद के रूप मे स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी शमीम खां द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप स्वीकार किया जाता है। अतः परिवाद के रूप मे दर्ज हो व प्रार्थी वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 25.03.2020 को प्रातः 10:30 बजे न्यायालय मे उपस्थित हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कक्ष संख्या 4 बरेली